

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
वोइयन पुत्र खोजामयन श्री परेवरी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 198 / 2021 GCMS No. 2021/917

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

25/11/2021

वादी श्री वोइयन पुत्र खोजामयन जाति परवेरी निवासी परवेरी द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैंप ग्राम पंचायत परवेरी में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2073-2075 ग्राम परवेरी पटवार मण्डल परवेरी के खाता नम्बर 106 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि वोइयन पुत्र खोजामयन दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम वोइयन पुत्र खोजामयन है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 2814 3843 5401 मतदाता पहचान पत्र R27/25/186/534289 अन्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी परवेरी भू.अ.नि Mishra एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

861-863



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)

